संख्या- 72/2015/64/22-4-15-48(19)/2001

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 24 मार्च, 2015

विषय- डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के परिसर में कारागार मुख्यालय के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 796/नम-4/मु0नि0/2014, दिनांक- 12.01.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के परिसर में कारागार मुख्यालय के निर्माण हेतु रू0-43,56,85,000/- (रूपया तैंतालिस करोड़ छप्पन लाख पच्चासी हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु धनराशि रू0-5,00,00,000/- (रूपया पॉच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(3) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप महानिरीक्षक कारागार/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(4) प्रायोजनान्तर्गत भवन निर्माण में कतिपय विशिष्टियां जैसे-स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, डी0जी0यू0 ग्लास, वाल, पेनलिंग, ग्रेनाइट स्टोन, ए0सी0पी0 क्लेडिंग, ब्रिक क्लेडिंग, वुडेन फ्लोरिंग, एल्युमूनियम लूवर्स, ग्लास कैनोपी जो कि लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियां से उच्च है, के प्रयोग पर नियमानुसर सक्षम उच्च स्तर (मा0 मंत्रिपरिषद) से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) प्रायोजनान्तर्गत ट्रान्सफार्मर, डी0जी0 सेट, एयरकन्डीशनिंग सिस्टम, लिफ्ट,वी0सी0बी0 पैनल, ए0एम0एफ0, पैनल, आडियो विजुअल सिस्टम, कान्फ्रेंस सिस्टम, नेटवर्क स्विच, मीटरिंग पैनल, सब स्टेश्न इक्यूपमेन्ट, फर्नीचर आदि की स्थापना हेतु प्रयुक्त दरों को प्रभाग स्तर पर इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोपाइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इने शिड्यूल आफ रेट उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एंव स्पेशीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः महानिरीक्षक कारागार/कार्यदायी संस्था निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(6) प्रायोजना में लेवलिंग, आन्तरिक रोड, सीवर लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, स्टार्म वाटर ड्रेन, हर्टीकल्चर आपरेशन, ट्यूबवेल एंव बोरिंग, आदि कार्य मदों हेतु डी0एस0आ0/एकमुश्त आधार पर लागत प्रस्तावित की गयी है। निर्माण से पूर्व इन समस्त कार्यमदों का विस्तृत आगणन जनपद के अनुसूची दरों पर गठित किया जाय एवं गठित आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(7) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एंव कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य वितरण प्रणाली, राइजिंग मेन, आदि की लम्बाई बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्वि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टिसे प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2015 तक कर लिया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(11) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। लेबर सेस की धनराशि का नियमानुसार भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

3- प्रश्नगत परियोजना के आगणन के मूल्यांकन से सम्बन्धित टिप्पणी की छायाप्रति संलग्न है।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-07-कारागार मुख्यालय के भवन का निर्माण कार्य-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/ मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-390/दस-2015, दिनांक-23 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-72/2015/ 64(1)/22-4-15-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0,लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in